



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122021-232034
CG-DL-E-21122021-232034

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2021/अग्रहायण 29, 1943
No. 20] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2021/AGRAHAYANA 29, 1943

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.नि.आ. 25(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 02(अ), तारीख 05 फरवरी, 2021 जिसमें कतिपय छावनी बोर्डों के गठन में फेरफार की घोषणा अंतर्विष्ट है, के साथ पठित छावनी अधिनियम 2006 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, उक्त धारा की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा उपदर्शित छावनी बोर्ड के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का नामांकन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 10 फरवरी, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए या उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन बोर्ड के गठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अधिसूचित करती है :

क्र.सं. (1)	छावनी बोर्ड का नाम (2)	छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन छावनी बोर्ड के गठन में सम्मिलित सदस्यों के नाम (3)
1.	फतेहगढ़	श्रीमती सोनी कनौजिया

[फा. सं. 14(5)/2021-रक्षा(क्यू एंड सी)]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2021

S.R.O. 25(E).—In pursuance of sub-section (3) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 2(E) dated the 5th February, 2021, containing the declaration varying the constitution of certain Cantonment Boards, the Central Government hereby notifies the nomination of members specified in column (3) of the Table given below of the Cantonment Board as indicated in column (2) thereof, under clause (c) of sub-section (2) of the said section for a period ending 10th February, 2022 with effect from the date of publication of this Notification or till the constitution of the Board under section 12 of the said Act, whichever is earlier.

Sl. No.	Name of Cantonment Board.	Name of the member constituting the Cantonment Board under clause (c) of sub-section (2) of section 13 of the Cantonments Act, 2006.
(1)	(2)	(3)
1.	Fatehgarh	Mrs Soni Kannaujiya

[F.No. 14(5)/2021-D(Q&C)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.नि.आ. 26(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 10(अ), तारीख 25 मई, 2021 जिसमें कतिपय छावनी बोर्डों के गठन में फेरफार की घोषणा अंतर्विष्ट है, के साथ पठित छावनी अधिनियम 2006 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, उक्त धारा की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा उपदर्शित छावनी बोर्ड के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का नामांकन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 12 जुलाई, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए या उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन बोर्ड के गठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अधिसूचित करती है :

क्र.सं.	छावनी बोर्ड का नाम	छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन छावनी बोर्ड के गठन में सम्मिलित सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)
1.	मेरठ	श्री सतीश चन्द्र शर्मा

[फा. सं. 14(5)/2021-रक्षा(क्यू एंड सी)]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2021

S.R.O. 26(E).—In pursuance of sub-section (3) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 10(E) dated the 25th May, 2021, containing the declaration varying the constitution of certain Cantonment Boards, the Central Government hereby notifies the nomination of members specified in column (3) of the Table given below of the Cantonment Board as indicated in column (2) thereof, under clause (c) of sub-section (2) of

the said section for a period ending 12th July, 2022 with effect from the date of publication of this Notification or till the constitution of the Board under section 12 of the said Act, whichever is earlier.

Sl. No. (1)	Name of Cantonment Board. (2)	Name of the member constituting the Cantonment Board under clause (c) of sub-section (2) of section 13 of the Cantonments Act, 2006. (3)
1.	Meerut	Shri Satish Chandra Sharma

[F.No. 14(5)/2021-D(Q&C)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.नि.आ. 27(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 02(अ), तारीख 5 फरवरी, 2021 जिसमें कतिपय छावनी बोर्डों के गठन में फेरफार की घोषणा अंतर्विष्ट है, के साथ पठित छावनी अधिनियम 2006 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, उक्त धारा की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा उपदर्शित छावनी बोर्डों के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का नामांकन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 10 फरवरी, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए या उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन बोर्ड के गठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अधिसूचित करती है :

क्र.सं. (1)	छावनी बोर्ड का नाम (2)	छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन छावनी बोर्ड के गठन में सम्मिलित सदस्यों के नाम (3)
1.	अल्मोड़ा	श्री कुलदीप राजौरिया
2.	औरंगाबाद	श्री प्रशांत सुरेश तारगे
3.	बरेली	डॉ. वैभव जायसवाल
4.	चकराता	श्री अनिल चाँदना
5.	मथुरा	श्रीमती ललिता देवी

[फा. सं. 14(5)/2021-रक्षा(क्यू एंड सी)]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2021

S.R.O. 27(E).—In pursuance of sub-section (3) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 2(E) dated the 5th February, 2021, containing the declaration varying the constitution of certain Cantonment Boards, the Central Government hereby notifies the nomination of members specified in column (3) of the Table given below of the Cantonment Boards as indicated in column (2) thereof, under clause (c) of sub-section (2) of the said section for a period ending 10th February, 2022 with effect from the date of publication of this Notification or till the constitution of the Board under section 12 of the said Act, whichever is earlier.

Sl. No. (1)	Name of Cantonment Board. (2)	Name of the member constituting the Cantonment Board under clause (c) of sub-section (2) of section 13 of the Cantonments Act, 2006. (3)
1.	Almora	Shri Kuldeep Rajoriya
2.	Aurangabad	Shri Prashant Suresh Targe

3.	Bareilly	Dr. Vaibhav Jaiswal
4.	Chakrata	Shri Anil Chandna
5.	Mathura	Smt. Lalita Devi

[F.No. 14(5)/2021-D(Q&C)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.नि.आ. 28(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 23(अ), तारीख 01 दिसम्बर, 2021 जिसमें खासयोल छावनी बोर्ड के गठन में फेरफार की घोषणा अंतर्विष्ट है, के साथ पठित छावनी अधिनियम 2006 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, उक्त धारा की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा उपदर्शित छावनी बोर्ड के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का नामांकन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 05 दिसम्बर, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए या खासयोल छावनी के सिविल क्षेत्र के अपछेदन या उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन बोर्ड के गठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अधिसूचित करती है:

क्र.सं. (1)	छावनी बोर्ड का नाम (2)	छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन छावनी बोर्ड के गठन में सम्मिलित सदस्यों के नाम (3)
1.	खासयोल	श्री मनोहर लाल शर्मा

[फा. सं. 14(5)/2021-रक्षा(क्यू एंड सी)]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2021

S.R.O. 28(E).— In pursuance of sub-section (3) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 23(E) dated the 1st December, 2021, containing the declaration varying the constitution of Khasyol Cantonment Board, the Central Government hereby notifies the nomination of member specified in column (3) of the Table given below of the Cantonment Board as indicated in column (2) thereof, under clause (c) of sub-section (2) of the said section for a period ending 05th December, 2022 with effect from the date of publication of this Notification or till the excision of civil areas of the Khasyol Cantonment or constitution of the Board under section 12 of the said Act, whichever is earlier.

Sl. No. (1)	Name of Cantonment Board. (2)	Name of the member constituting the Cantonment Board under clause (c) of sub-section (2) of section 13 of the Cantonments Act, 2006. (3)
1.	Khasyol	Shri Manohar Lal Sharma

[F.No. 14(5)/2021-D(Q&C)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.